

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक **41/दो-22-1/86**

सीहोर, दिनांक : **16/12/23**


इस न्यायिक जिले में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में वर्णित दिनांकों का वर्ष 2023 के लिये शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य का प्रभार कॉलम नं. 6 में दर्शाए अनुसार पदाधिकारी के पास रहेगा:-

क्रं.	अधिकारी का नाम एवं पद	स्वीकृत शीतकालीन अवकाश	कुल अवकाश	पूर्ववती/पश्चात्वर्ती अवकाश एवं मुख्यालय अनुमति	अनुपस्थिति में प्रभार	शीतकालीन अवकाश में उपस्थित
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुरेश सिंह, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) सीहोर	28.12.2023 से 30.12.2023 तक	3 दिवस	दिनांक 27.12.23 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 02.01.24 के न्यायालय समय पूर्व तक	1-तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 2-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर	1-श्री अभिलाष जैन, 2-प्रधान जिला न्यायाधीश,सीहोर
2	श्री संजय कुमार शाही, प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर	28.12.2023 से 30.12.2023 तक	3 दिवस	दिनांक 28.12.23 से दिनांक 02.01.24 के न्यायालय समय पूर्व तक	1-तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 2-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर	1-श्री अभिलाष जैन, 2-प्रधान जिला न्यायाधीश,सीहोर
3	श्री अभिलाष जैन, तृतीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर	26.12.2023 से 27.12.2023 तक, एवं 30.12.2023 तक	3 दिवस	दिनांक 24.12.23 से दिनांक 27.12.23 तक एवं दिनांक 30.12.23 से 02.01.24 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1-प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 2-विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर 3-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर	1-श्री संजय कुमार शाही, 2-श्री सुरेश सिंह, 3-प्रधान जिला न्यायाधीश,सीहोर
4	श्री सुरेश कुमार चौबे, प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, आष्टा	29.12.2023 से 30.12.2023 तक	2 दिवस	दिनांक 28.12.23 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 02.01.24 के न्यायालय समय पूर्व तक	1-द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा	श्री कचन सक्सेना,
5	श्री कचन सक्सेना, द्वितीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, आष्टा	26.12.2023 से 28.12.2023 तक	3 दिवस	दिनांक 25.12.23 से दिनांक 29.12.23 के न्यायालय समय पूर्व तक	1-प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा	श्री सुरेश कुमार चौबे,
6	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, द्वितीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	26.12.2023 से 27.12.2023 तक	2 दिवस	दिनांक 23.12.23 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 28.12.23 के न्यायालय समय पूर्व तक	1-जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी	डॉ. वैभव विकास शर्मा,
7	डॉ. वैभव विकास शर्मा, जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, बुदनी	28.12.2023 से 30.12.2023 तक	3 दिवस	दिनांक 27.12.23 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 01.01.24 के न्यायालय समय पूर्व तक	1-द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा

नोट:-

- उपरोक्त कार्यव्यवस्था अनुसार कॉलम न0-2 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का प्रभार कॉलम न0-6 के कम में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के पास रहेगा और यदि किसी अपरिहार्य कारण से कॉलम न0-6 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो तहसील न्यायालय एवं जिला मुख्यालय सीहोर में उपलब्ध वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के पास कॉलम न0-2 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का प्रभार होना स्वतः माना जायेगा।
- उपरोक्त जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त वर्णित शीतकालीन अवकाश के अलावा शीतकालीन अवकाश अवधि (25.12.2023 से 31.12.2023 तक) में यदि कोई अन्य अवकाश का उपभोग किया जाता है तो वे पूर्व अनुमति के बिना ऐसे किसी अन्य अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
- शीतकालीन अवकाश का उपभोग करने हेतु जाने वाले जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अवकाश का उपभोग प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि कार्यव्यवस्था के अंतर्गत उनके नाम के सम्मुख कॉलम न0-6 में दर्शित जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश मुख्यालय में उपस्थित हो चुके हैं।


- 4 शीतकालीन अवकाश अवधि में उपरोक्त वर्णित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश में से किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण होने पर उनके स्थान पर पदस्थापित होने वाले जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का नाम (मात्र कॉलम न0-6 प्रभार के कॉलम में) उस न्यायिक अधिकारी के नाम के समक्ष स्वतः प्रतिस्थापित माना जायेगा जिनके स्थान पर नवीन पदस्थापित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है।
- 5 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर के शीतकालीन अवकाश की अवधि में उनके न्यायालय का कार्य विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा।
- 6 उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में सिविल प्रकृति का आवश्यक कार्य सिविल कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2023 के अनुसार संपादित किया जावेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीहोर जिला-सीहोर(म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र. 9678 / दो-22-1/86,
प्रतिलिपि:-

सीहोर, दिनांक 16/12/23

1. विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर
 2. प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर
 3. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर
 4. प्रथम/द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा
 5. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज
 6. जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी
 7. कोर्ट मैनेजर/प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/सहायक लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर
 8. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सीहोर/आष्टा/नसरुल्लागंज/बुदनी
- की ओर शीतकालीन अवकाश स्वीकृति आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित।
9. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर की, ओर इस निर्देश के साथ की प्रेषित की, उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें।
 - 10 जे.एस.ए., कम्प्यूटर अनुविभाग, सीहोर की ओर उक्त आदेश की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह उक्त समस्त न्यायिक अधिकारियों को उनकी ई-मेल आई. पर प्रेषित करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीहोर जिला-सीहोर(म.प्र.)